कार्यालय, अनुमंडल पदाधिकारी, सदर छपरा।

विकास मित्र के रिक्त पदों पर नियोजन

1.	अनुमण्डल स्तर पर विकास मित्र चयन समिति का गठन करने की तिथि	–	20.06.2024
2.	प्रखण्डवार/नगर/निकाय रिक्तियों के प्रकाशन	–	09.11.2024
3.	संबंधित प्रखण्ड/नगर निकाय में आवेदन-पत्र प्राप्त करने हेतु समय सीमा	–	11.11.2024 से 18.11.2024
4.	प्रखण्ड स्तर पर मेधा सूची तैयार करना एवं प्रपत्र-1 में प्रकाशन	–	20.11.2024
5.	चयन सूची तैयार करना एवं प्रपत्र-2 में प्रकाशन	–	22.11.2024
6.	चयन सूची पर आपत्ति प्राप्त करना	–	23.11.2024
7.	चयन सूची पर आपत्ति का निराकरण	–	25.11.2024 से 27.11.2024
8.	अंतिम चयन सूची एवं नियोजन सूची का प्रकाशन	–	29.11.2024
9.	नियोजन पत्र वितरण/शपथ ग्रहण उन्मुखीकरण कार्यशाला	–	02.12.2024

- विकाश मित्र का चयनः-

महादलित समुदाय से ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पंचायत एवं शहरी क्षेत्र में रिक्त वार्ड समूह (कलस्टर) पर एक विकास मित्र का चयन किया जायेगा। विकास मित्र का नियोजन अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी), वर्ष 2010 के सर्वेक्षण के आधार पर जिस महादलित जाति के जनसंख्या की बहुलता होगी उसी जाति से विकास मित्र का चयन किया जायेगा।

1. चयन हेतु अर्हताः- (प) आवेदक पूर्व से निर्धारित महादलित परिवार जाति बहुलता वाले से होंगे। (पप) जिस पंचायत/वार्ड समूह (कलस्टर) (शहरी) से विकास मित्र का चयन किया जाना हैं। वहीं के निवासी से आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा। (पपप) आवेदक का न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष होगी (पअ) विकास मित्र के चयन में शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष नहीं मिलने की स्थिति में निम्न प्रकार से चयन किया जा सकता हैः- (1) नन-मैट्रिक, (2) नवमी पास, (3) आठवीं पास, (4) सातवीं पास, (5) छठा पास, (6) पाचवीं पास। सर्वप्रथम नन-मैट्रिक- उसके पश्चात नवमी पास उसी प्रकार नीचे के क्रम में चयन किया जायेगा। महिलाओं के शैक्षणिक योग्यता नहीं मिलने पर साक्षर होने पर भी उन्हे चयनित किया जाएगा। व अक्षर योजना एवं स्वयं समूह के साथ जुड़ी हो तथा वे सामाजिक कार्यो में प्रगतिशील सक्रिय महिला हो। उच्चतम शैक्षणिक योग्यता आवेदक उपलब्ध रहने पर किसी भी स्थिति में निम्न शैक्षणिक योग्यता वाले का चयन नहीं किया जायेगा। जब एक ही शैक्षणिक योग्यता के दो या दो से अधिक आवेदन प्राप्त होगे। वैसी स्थिति में जिस आवेदक की उम्र सबसे कम हो (जन्म तिथि के अनुसार) चयन किया जायेगा। अगर दो से अधिक आवेदकों की जन्म तिथि एवं शैक्षणिक योग्यता समान हो वैसी स्थिति में अनुमण्डल पदाधिकारी स्वयं विवके से आवेदक का चयन करेंगें। विकास मित्र का चयन मार्गदर्शिका (पचम चरण के आधार पर किया जाएगा। (V) चयन में मैट्रिक या समकक्ष से उच्चतर योग्यता वाले अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा।, (vi) मैट्रिक या समकक्ष वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। (vii) मैट्रिक या समकक्ष में समान प्रतिशत रहने पर ज्यादा उम्र वालें अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. आयु सीमाः- आवेदक की उम्र दिनांक-01.01.2024 को न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित महिला पदों के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष उपलब्ध नहीं रहने पर साक्षर तक एक से अधिक अभ्यर्थी की स्थिति में कम उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. जाति बहुलताः- वर्ष 2010 के सर्वेक्षण के आधार पर पंचायत/वार्ड समूह (शहरी) में महादलित वर्ग में सम्मिलित जातियों में से किसी एक जाति की बहुलता का निर्धारण किया जा चुका हैं। जाति बहुलता का निर्धारण उस जाति से की गई है, जिस जाति की जनसंख्या पंचायत/वार्ड समूह (शहरी) में सबसे अधिक हैं। किसी भी परिस्थिति में विकास मित्र का चयन उसी रिक्ति वालें पंचायत से ही किया जाएगा।
4. नियोजन की अवधिः- विकास मित्रों का नियोजन 60 वर्ष के उम्र तक कार्य किए जाने हेतु अनुबंध के आधार पर किया जायेगा। आवश्यकतानुसार पुनः नियोजन किया जा सकता हैं।
5. मानदेय :- प्रत्येक विकास मित्र को सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय भुगतेय होगा।
6. सामान्य निर्देश :- कार्य योजना के अनुसार सभी तथ्यों यथा विकास मित्रों के पदों का जिला द्वारा अनुमोदन इत्यादि की सूचना मिशन को समय-समय पर प्रेषित किया जाएगा।

आवेदन पत्र जमा करने का स्थान :- संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का कार्यालय/शहरी क्षेत्र के लिए कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निकाय का कार्यालय, रिक्ति की स्थिति निम्नवत हैः-

क्रम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत/वार्ड का नाम	जाति की बहुलता	अभ्युक्ति
1	परसा	चाँदपुरा	चमार (महिला)	
2	एकमा	आमडाढ़ी	चमार (महिला)	
3	मांझी	बरेजा	चमार (अन्य)	न्यायालय द्वारा पारित आदेश से नियोजन प्रभावित होगा।

- अधिक जानकारी के लिए अनुमण्डल कार्यालय, सदर छपरा/जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण एवं बिहार महादलित विकास मिशन, पटना से सम्पर्क किया जा सकता हैं।
- आवेदन पत्र का प्रपत्र एवं रिक्ति से संबंधित जानकारी के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में सम्पर्क करें।
- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा विकास मित्रों का चयन किया जायेगा।
- विस्तृत जानकारी के लिए www. Bmvm.bihar.gov.in पर उपलब्ध हैं।
- बिहार महादलित विकास मिशन के हेल्प लाईन नं0-18003456345 पर भी संपर्क किया जा सकता हैं।

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सदर छपरा।